

कार्यालय-अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,  
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-mail: nodalofficerddn@gmail.com

Phone/ Fax: 0135-2767611

पत्रांक- 1285 /FP/UK/ROAD/41009/2019:देहरादून: दिनांक: 18 नवम्बर, 2022

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,  
भारत सरकार,  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,  
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर-मध्य क्षेत्र),  
25 सुभाष रोड़, देहरादून।

विषय:- जनपद उत्तरकाशी में विकासखण्ड चिन्वालीसौड़ के अंतर्गत चिन्वालीसौड़- जोगथ मोटर मार्ग के गोरुण तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.5225 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ:- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर-मध्य क्षेत्र), देहरादून का पत्रसं०-08बी/यू०सी०पी०/०६/१३२/२०२१/एफ०सी०/१३१९, दिनांक:-३१-१२-२०२२।

महोदय,

भारत सरकार, के उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का संज्ञान लेने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार द्वारा विषयाकित प्रकरण में निम्न बिन्दुओं पर सूचना चाही गयी थी। जिसकी अनुपालन आख्या वन संरक्षक भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती के पत्र संख्या-838/12-1 दिनांक 21.10.2022 एवं प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी पत्र दिनांक-02.09.2022 द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त वन भूमि प्रस्ताव में 0.385 हे० का मक डिस्पोजल हेतु चयन किया गया है, जो सही है। मक डिस्पोजल प्लान से सत्यापित किया जा सकता है।

क्र० सं०	आपत्ति	आख्या
1	Area proposed for diversion is 1.5225 ha out of which 3 0.385 ha area selected for muck 'disposal which appears to be more than requirement. State Govt. may justify the requirement of 0.385 ha area for muck disposal.	वन संरक्षक भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती के पत्र संख्या-838/12-1, दिनांक 21.10.2022 एवं प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी पत्र दिनांक-02.09.2022 द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त वन भूमि प्रस्ताव में 0.385 हे० का मक डिस्पोजल हेतु चयन किया गया है, जो सही है। मक डिस्पोजल प्लान से सत्यापित किया जा सकता है।
2	On perusal of KML file, it is noticed that beneficiary village is already on the road. State Govt. may justify the requirement of proposed road.	वन संरक्षक भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती के पत्र संख्या-838/12-1 दिनांक 21.10.2022 एवं प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी पत्र दिनांक-02.09.2022 अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग से लाभान्वित होने वाले गाँव किसी भी अन्य मोटर मार्ग से नहीं जुड़ा है।
3	It is seen that the name of CA area is not mentioned in maps of CA. State Govt. may submit/upload the digital map of CA area mentioning the name of area selected for CA	वन संरक्षक भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती के पत्र संख्या-838/12-1 दिनांक 21.10.2022 एवं प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी पत्र दिनांक-02.09.2022 अवगत कराया गया है कि सी०ए० मैप में सी०ए० का क्षेत्रफल स्थल सहित दर्शाकर अपलोड कर दिया है। (संलग्नक-1)
4	It is seen that the Administrative approval and Geologist Report uploaded online are not legible. State Govt. may upload the clear/legible scanned copy of the	वन संरक्षक भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती के पत्र संख्या-838/12-1 दिनांक 21.10.2022 एवं प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी पत्र दिनांक-02.09.2022 अवगत कराया गया है कि पढ़ने योग्य

M

	Administrative approval and Geologist Report in online portal.	साफ Administrative approval और Geologist Report अपलोड कर दी गई है। (संलग्नक-2,3)
5	The date is not mentioned in tree enumeration details. State Govt. may submit/upload the tree enumeration list mentioning the date.	वन संरक्षक भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती के पत्र संख्या-838/12-1 दिनांक 21.10.2022 एवं प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी पत्र दिनांक-02.09.2022 अवगत कराया गया है कि संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट में पेड़ों की गणना की तिथि अंकित कर ऑनलाइन अपलोड कर दी गयी है। (संलग्नक-4)
6	Certificate of work not start' is not found counter signed by the DFO. State Govt. may submit the same duly countersigned by the concerned DFO.	वन संरक्षक भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती के पत्र संख्या-838/12-1 दिनांक 21.10.2022 एवं प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी पत्र दिनांक-02.09.2022 अवगत कराया गया है कि Certificate of work not start' में प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर कराकर अपलोड कर दिया गया है। (संलग्नक-5)

अतः प्रश्नगत प्रकरण में वन संरक्षक भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती के पत्र संख्या-838/12-1 दिनांक 21.10.2022 एवं प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी द्वारा प्रेषित अनुपालन आख्या के क्रम में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत यथोचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।  
संलग्न-उपरोक्तानुसार ।

भवदीय,

(एस0एस0रसाईली)

अपर प्रमुख वन संरक्षण एवं नोडल अधिकारी,  
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या : 12857 FP/UK/ROAD/41009/2019 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. वन संरक्षक भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती के पत्र संख्या-838/12-1 दिनांक 21.10.2022 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित
2. प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी पत्र दिनांक-02.09.2022 के क्रम में ।
3. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण खण्ड विभाग, चिन्वालीसौड़, उत्तरकाशी।

(एस0एस0रसाईली)

अपर प्रमुख वन संरक्षण एवं नोडल अधिकारी,  
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

are